भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2681

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों में खामियां

2681. श्री पी.सी. मोहन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के दिनों में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इस संबंध में कोई कार्य योजना है अथवा राष्ट्रीय राजमार्गों में गुणवत्ता दोषों की पहचान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन राज्यों ने उक्त कार्य योजना को लागू किया है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच कैलेंडर वर्षों के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या नीचे तालिका में दी गई है:-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	वृद्धि/ कमी का प्रतिशत
2017	464910	-
2018	467044	0.46
2019	449002	-3.86
2020	366138	-18.46
2021	412432	12.64

(ख) से (घ) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सड़क इंजीनियरिंग के आधार पर मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं: -

(i) मंत्रालय ने सभी चरणों (डिजाइन, निर्माण और संचालन) पर सुरक्षा ऑडिट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 27.05.2022 को सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति जारी की गई है, जिसमें परियोजना के सभी चरणों में आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार ऑडिट आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है।

(iii) आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा ऑडिट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता अध्ययन का एक अभिन्न अंग है और सभी परियोजनाओं के अनुसार मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(iv) डीपीआर स्तर पर एनएचएआई द्वारा तीसरे पक्ष का स्वतंत्र सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।

(v) मंत्रालय ने दिनांक 7 दिसंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-29011/2/2015/पी एंड एम (आरएससीई) के माध्यम से "राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर पहचाने गए सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने" पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(vi) मंत्रालय ने परिपत्र सं. आरडब्ल्यू/एनएच-29013/01/2020-एसएंडआर दिनांक 09 नवंबर, 2020 के तहत सभी सुरक्षा और सुझाई गई प्रक्रियाओं की निगरानी और अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए किया जाना है।

(vii) मंत्रालय ने 9 सितंबर 2021 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-29011/01/2021-एसएंडआर (पी एंड बी) आरएससीई के तहत पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनाओं/मृत्युओं के बाद उनके ब्लैक स्पॉट में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा किए बिना रारा पर दुर्घटना स्थलों को हटाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

(viii) लक्षित समय-सीमा के साथ ब्लैक स्पॉट्स और दुर्घटना स्थलों की पहचान और सुधार के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सभी सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के क्षेत्रीय/क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं

*****